

RR No. 2232
10-1-2012

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 18(1)साप्र/2/11 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 30.12.2011

:- आदेश :-

श्री ऋतुदेव सिंघल, कनिष्ठ लिपिक, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर को उनकी पंचम श्रेणी की वरियता संख्या 119/03 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 31.3.2041 के आधार पर इस विभाग के आदेश दिनांक 8.6.2011 के द्वारा उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर आवंटित राजकीय आवास संख्या 5/बी/22 गॉधीनगर, जयपुर के स्थान पर 5/बी/4 गॉधीनगर, जयपुर पूर्व शर्तो के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है।

आज्ञा से,

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी संस्थापन, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर।
4. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
6. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गॉधीनगर, जयपुर।
7. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर।
8. संबंधित कार्मिक को भेजकर आवंटित आवास के कब्जा तत्काल लेकर पूर्व में आवंटित आवास को 15 दिवस में रिक्त करने का श्रम करे।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
10. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता/पात्रतानुसार उनके नाम के सन्मुख अंकित राजकीय आवास नियमानुसार किराये पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :-

क.सं.	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृति तिथि	वरियता संख्या
1.	श्री बाबू लाल मीणा नर्स ग्रेड-II सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	4/79 गॉधीनगर	30.6.2043	50/09
2.	श्रीमती कुसुम शेरवाल कनिष्ठ लिपिक वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर	4/84 गॉधीनगर	30.4.2022	53/09
3.	श्री देशराज वरिष्ठ लिपिक अधिशायी अभियन्ता भूजल विभाग, जयपुर	4/99 गॉधीनगीर	31.7.2016	60/09
4.	श्री जय सिंह यादव निजी सहायक वित्त (कर) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4/100 गॉधीनगर	31.5.2034	130/09
5.	श्रीमती शिल्पा शाह अध्यापिका राज0 बा0 प्रा0 विद्यालय जवाहर नगर, जयपुर	4/138 गॉधीनगर	28.2.2033	62/09
6.	श्री बृजेश यादव नर्स ग्रेड-II इ0 रा0 बी0 औषधालय नं0-8 जयपुर	4/167 (पुराना नं.एफ-980) गॉधीनगर	30.11.2039	68/09

शर्त :-

- आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशायी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।

adweb)

A

10-1-2012

Date

12/1/12

Dr. (Mr.)

2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।

10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

आज्ञा से,

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक सम्पदा विभाग, जयपुर।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क0 रा0 बी0 औषधालय नं0-8, जयपुर।
4. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।
5. अधीक्षक, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर।
6. अधिशाषी अभियन्ता, भूजल विभाग, जयपुर।
7. उप शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. प्रधानाध्यापिका, राज0 बा0 प्रा0 विद्यालय, जवाहरनगर,, जयपुर।
9. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, जयपुर शहर जयपुर।
- ✓ 11. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
12. अनुभागाधिकारी, कार्मिक (ग) विभाग, जयपुर को नियमानुसार किराया कटौती हेतु।
13. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गॉंधीनगर, जयपुर।
14. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉंधीनगर,, जयपुर।
15. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
16. निजो सहायक, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
17. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव